

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क-543/2009
संस्थित दिनांक- 23.01.2009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आबकारी विभाग चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

गणेश पुत्र काशीराम लोधी उम्र 45 साल
निवासी ग्राम खिरिया थाना पिपरई

.....अभियुक्त

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 09.04.2018 को घोषित)

- 01- अभियुक्त के विरुद्ध की धारा 34 आबकारी अधिनियम के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक 25.10.2009 को ग्राम खिरिया में 11 बजे अपने कब्जे में अवैध रूप से विक्रय करने के आशय से बिना अनुज्ञप्ति के हाथ भट्टी की मदिरा पांच लीटर प्लास्टिक की कैन में रखा पाया।
- 02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 25.10.2009 को उपनिरीक्षक जी.डी. जाटव आबकारी विभाग चंदेरी, मुखबिर की सूचना के आधार पर नितान्त समयाभाव के कारण बिना सर्च वारण्ट प्राप्त किये गणेश के निवास स्थान ग्राम खिरिया, पर दबिश दी जाकर मोके पर उपलब्ध गवाहान के समक्ष विधिवत् तलाशी लिये जाने पर एक प्लास्टिक की कैन, जो विधिवत् समक्ष गवाहान जांच करने पर हाथ भट्टी की अवैध शराब पाये जाने पर सील्ड किया जाकर कब्जे में लिया गया, उसके पास उक्त शराब को रखने के संबंध लाईसेंस मांगा तो न होना पाया। आरोपी को उक्त अपराध के संबंध में विधिवत् साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 123/2009 अंतर्गत धारा 34 (1) ए आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 03- अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना पूर्व में उसने अपराध करना अस्वीकार किया था तथा पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर अपराध करना स्वीकार किये जाने के पश्चात् अभिलेख पर अभियोजन की ओर से प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों को अभियुक्त ने स्वीकार किया। अभिलेख पर अभियुक्त के विरुद्ध आई साक्ष्य के संबंध में अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 लिया गया, जिसमें भी अभियुक्त ने अपराध करना स्वीकार किया।

04- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या अभियुक्त ने दिनांक 25.10.2009 को ग्राम खिरिया में 11 बजे अपने कब्जे में अवैध रूप से विक्रय करने के आशय से बिना अनुज्ञप्ति के हाथ भट्टी की मदिरा पांच लीटर प्लास्टिक की कैन में रखा पाया ?
2.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

05- प्रकरण में अभियोजन की ओर से अभिलेख पर मात्र साक्षी मोहन सिंह परमार (अ0सा0-01) की साक्ष्य है। साक्षी मोहन सिंह परमार ने उपस्थित होकर अपने न्यायालीन कथनों में यह स्पष्ट किया है कि वह दिनांक 25.10.09 को आबकारी उपनिरीक्षक जी. डी. जाटव के साथ ग्राम खिरिया में आरोपी के घर पर तलाशी के लिये गये थे, जहां उन्हें देखकर आरोपी तो भाग गया, परन्तु आरोपी के घर से कब्जे से एक कैन में पांच लीटर हाथ भट्टी की शराब मिली थी। इस साक्षी के अनुसार मौके पर जी. डी. जाटव ने शराब जप्तकर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 01 बनाया था, जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उपरोक्त कथन अखण्डित रहे हैं तथा बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में यह सुझाव अवश्य दिया गया है कि आरोपी से कोई शराब जप्त नहीं हुई थी, उसके पास असत्य रूप से शराब रखकर प्रकरण बनाया गया है।

06- यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में अभियुक्त के द्वारा स्वयं पर लगे आरोपों को अस्वीकार किया गया है तथा साक्षी मोहन सिंह परमार (अ0सा0-01) के प्रतिपरीक्षण में भी प्रतिरक्षा स्वरूप यह सुझाव दिया गया है तथा उसे प्रकरण में झूठा फसाया गया है, परन्तु आज दिनांक 09.04.2018 को अभियुक्त ने स्वयं उपस्थित होकर धारा 294 द0प्र0सं0 का आवेदन प्रस्तुत कर अपने उपर लगे आरोप को स्वीकार करते हुये अपराध करना स्वीकार किया है।

07-माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत **State of Maharashtra vs Sukhdeo Singh and anr 1992 S.C.C. (C.R.I.) 705** में प्रतिपादित विधि के अनुसार अभियुक्त प्रकरण के किसी भी स्तर पर अपना अपराध स्वीकार कर सकता है। अतः अभियुक्त के द्वारा की गई स्वीकोरोक्ति के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त ने दिनांक 25.10.2009 को ग्राम खिरिया में 11 बजे अपने कब्जे में अवैध रूप से विक्रय करने के आशय से बिना अनुज्ञप्ति के हाथ भट्टी की मदिरा पांच लीटर प्लास्टिक की कैन में रखा पाया।

08- फलतः अभियुक्त गणेशा पुत्र काशीराम लोधी के संबंध में धारा 34 (1) ए आबकारी अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप प्रमाणित होने से उसे धारा 34 (1) ए आबकारी अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष सिद्ध घोषित किया जाता है।

- 09— अभियुक्त की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुना गया। उसके द्वारा व्यक्त किया गया वह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है। पूर्व में उसके विरुद्ध कोई भी दोष सिद्ध नहीं है। अतः दण्ड देते समय सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाने का निवेदन किया।
- 10— अभियुक्त गणेश पुत्र मांगीराम लोधी के द्वारा स्वेच्छयापूर्वक अपना ऊपर लगे आरोप को स्वीकार करते हुये अपराध करना स्वीकार किया है। उपरोक्त परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की लंबित अवस्था को दृष्टिगत रखते हुये धारा 34 (1) ए आबकारी अधिनियम के दण्डनीय अपराध में अभियुक्त गणेश पुत्र काशीराम लोधी को न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 700/- रुपये (सात सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड दण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस (सात दिवस) का पृथक से साधारण कारावास भुगताया जावे। .
- 11—अभियुक्त की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति अपील अवधि के पश्चात् मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)